

छत्तीसगढ़ शासन



तकनीकी शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ बी.ई, बी.फार्मेसी लेटरल एण्ट्री प्रवेश सत्र

2016-17

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित समस्त इंजीनियरिंग संस्थाओं में संचालित इंजीनियरिंग स्नातक उपाधि (बी.ई.) पाठ्यक्रमों तथा फार्मेसी संस्थाओं में संचालित फार्मेसी स्नातक उपाधि (बी. फार्मेसी) पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में लेटरल एण्ट्री के तहत अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश के नियम एवं प्रक्रिया

*तकनीकी शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़,
इंद्रवती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष 0771-2221376 फेक्स 0771-2331331
website-www.cgdteraipur.ac.in*

महत्वपूर्ण निर्देश

अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता काउंसिलिंग के समय होती है अतः काउंसिलिंग के पूर्व ही निम्नानुसार दस्तावेजों को सक्षम अधिकारी से बनवाकर रख लें, ताकि काउंसिलिंग के समय असुविधा न हो :-

- छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाणपत्र
- स्थायी जाति प्रमाणपत्र (अस्थायी स्वीकार्य नहीं)
- दसवीं की अंकसूची (जन्मतिथि प्रमाण हेतु)
- अर्हकारी परीक्षा डिप्लोमा अथवा बी.एस.सी. की अंकसूची
- काउंसिलिंग कार्यक्रम एवं रिक्त सीटों की अद्यतन जानकारी हेतु संचालनालय तकनीकी शिक्षा की अधिकृत वेबसाइट- www.cgdteraipur.ac.in का अवलोकन करें।
- काउंसिलिंग सामान्यतया जून-जुलाई माह में होती है परंतु इसमें परिवर्तन हो सकता है। कृपया समाचार पत्रों का नियमित अवलोकन करते रहें।

छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
:- मंत्रालय :-

अधिसूचना

नया रायपुर दिनांक . .2016

क्रमांक एफ-9-6/2015/त.शि./42 :: छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008 में निहित निर्देशों के पालन में निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग/फार्मेसी महाविद्यालयों में संचालित स्नातक उपाधि बी.ई./बी.फार्मेसी पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में सत्र 2016-2017 में प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के मेरिट के आधार पर होंगे। इसके लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता नहीं रहेगी।

अर्हकारी परीक्षा के आधार पर विभिन्न संस्थाओं में प्रवेश की कार्यवाही ऑनलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से किये जायेंगे। इस हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं। इन्हीं नियमों के आधार पर ही छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं स्वशासी स्ववित्तीय इंजीनियरिंग संस्थाओं में भी प्रवेश होंगे :-

2.1 संक्षिप्त नाम : ये नियम 'छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग/फार्मेसी स्नातक पाठ्यक्रम लेटरल एण्ट्री (द्वितीय वर्ष) प्रवेश नियम 2016 कहलायेंगे। इन नियमों को एतस्मिन् पश्चात 'स्नातक लेटरल एण्ट्री प्रवेश नियम' कहा गया है।

2.2 विस्तार : ये नियम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमोदित एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, स्वशासी-स्ववित्तीय इंजीनियरिंग संस्थानों व निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के बी.ई. पाठ्यक्रमों एवं निजी फार्मेसी संस्थाओं तथा विश्वविद्यालय संस्थानों में संचालित बी.फार्मेसी पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों पर लागू होंगे।

2.3 परिभाषायें :-

इन नियमों में, जहां तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नानुसार होगा :-

1. 'प्रवर्ग' का तात्पर्य है छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति प्रवर्ग (SC- Scheduled Caste), अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग (ST- Scheduled Tribe) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC- Other Backward Class) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) जो इन तीनों प्रवर्ग में नहीं आता उसे अनारक्षित प्रवर्ग (UR- Un Reserved) माना जायेगा।
2. 'सक्षम प्राधिकारी' (स.प्रा.) का अभिप्रेत है ऐसा आधिकारी जिसे राज्य शासन द्वारा काउंसिलिंग कार्य हेतु सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है।
4. 'प्राचार्य' का तात्पर्य है संस्था प्रमुख।
5. 'छत्तीसगढ़' का तात्पर्य है छत्तीसगढ़ राज्य जो केन्द्र शासन की अधिसूचना के कारण दिनांक 01.11.2000 को अस्तित्व में आया।
6. 'अ.भा.त.शि.प.' का तात्पर्य है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली।
7. 'संचालक' का तात्पर्य है संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर।
8. 'अभ्यर्थी' या 'उम्मीदवार' से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक है।
9. 'प्रायोजित अभ्यर्थी' (Sponsored Candidate) से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक है एवं जो राज्यशासन/केन्द्रशासन/पंजीकृत कंपनी/मान्यता प्राप्त संस्था में पूर्णकालिक अथवा संविदा पर कम से कम 2 वर्ष से नियोजित है तथा जिसे नियोक्ता/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने तथा पूरे पाठ्यक्रम अवधि के लिए नियमित छात्र के रूप में अध्ययन करने हेतु अनुमति दिया गया हो।

C.G. Lateral Entry Rules for BE/BPh- 2016

2.4 (अ) प्रवेश हेतु सीटों के कोटा का निर्धारण - विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की सीटों को सत्र 2016-17 के लिये निम्नानुसार 2 प्रकार के कोटा में विभाजित किया गया है :-

विवरण	CG	MGT
निजी संस्थायें	85	15
के.आई.टी., रायगढ़	100	Nil
आई. टी. कोरबा	85	15
शासकीय संस्थायें	100	Nil
शासकीय विश्वविद्यालयीन संस्था	100	Nil
अल्पसंख्यक संस्था	50	50

(1) छत्तीसगढ़ राज्य कोटा (C.G. Quota) :- इस कोटा के अंतर्गत छ.ग. के मूल निवासी छात्र को प्रवेश दी जायेगी। इस कोटे पर प्रवेश की कार्यवाही केन्द्रीय काउंसिलिंग के माध्यम से संचालनालय द्वारा की जायेगी।

(2) मेनेजमेंट कोटा (Mngt. Quota) :- इस कोटे के अंतर्गत छ.ग. राज्य के साथ ही साथ अन्य राज्य के छात्र भी प्रवेश हेतु पात्र हैं। इस कोटे पर प्रवेश संस्था स्तर पर होंगे। इस कोटे में प्रवेश के लिए भी शेष संपूर्ण नियम लागू रहेंगे।

टीप:-1. निजी संस्थाओं में मेनेजमेंट कोटा की व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण क्रमांक Special leave to Appeal (Civil) 26436/2012 के अंतिम निर्णय के अध्वधीन रहेगा।

2 कोई संस्था स्वेच्छा से मेनेजमेंट कोटा की समस्त सीटों को छत्तीसगढ़ राज्य कोटा में समर्पण कर सकता है। आंशिक समर्पण मान्य नहीं है। इसके लिए संस्था को काउंसिलिंग प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व आवेदन करना होगा।

2.4 ब उपलब्ध स्थान एवं इंजीनियरिंग शाखाएं

संस्थाओं में पिछले सत्र 2015-16 में प्रथम वर्ष में स्वीकृत सीटों का 20 प्रतिशत सांख्येत्तर (Over & Above) सीट लेटरल एण्ट्री हेतु द्वितीय वर्ष में 2016-17 में प्रवेश के लिए उपलब्ध रहेंगे।

Table-1 में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, स्वशासी स्ववित्तीय इंजीनियरिंग संस्थाओं में इंजीनियरिंग स्नातक उपाधि पाठयक्रमों में सत्र 2016-2017 में द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु उपलब्ध कुल स्थानों की संख्या दशाई गई है।

Table-2 में फार्मैसी संस्थाओं में उपलब्ध सीटों की जानकारी दी गयी है। सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिये प्रत्येक निजी संस्था को रु. 1000/- प्रति स्वीकृत सीट की दर से कुल स्वीकृत प्रवेश क्षमता अनुसार कौशन मनी काउंसिलिंग प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व जमा करना अनिवार्य है। किसी संस्था को कौशन मनी न जमा करने पर अथवा अन्य समुचित कारण/कारणों से केन्द्रीयकृत काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर रखना, यह छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गठित काउंसिलिंग समिति का विशेषाधिकार रहेगा।

2.5 सीटों का आरक्षण :-

2.5.1 उर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्गों के लिए-

शासकीय संस्थाओं, विश्वविद्यालयीन संस्थाओं, स्वशासी-स्ववित्तीय संस्थाओं तथा निजी संस्थाओं में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़ कर) प्रवर्गों के लिए क्रमशः 12, 32 एवं 14 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण किया गया है, आरक्षण वार सीटों की संख्या काउंसिलिंग के समय दी जाएगी। शेष 42 प्रतिशत सीटें अनारक्षित (UR) रहेंगी। इन अनारक्षित सीटों पर मेरिट के आधार पर किसी भी प्रवर्ग का (SC/ST/OBC/GEN) अभ्यर्थी प्रवेश पा सकता है। यदि किसी SC/ST अथवा OBC प्रवर्ग के छात्र को मेरिट के आधार पर अनारक्षित UR सीट मिलती है तो उसे UR में ही समायोजित किया जायेगा एवं आरक्षित सीट को यथावत रहने

दिया जायेगा। आरक्षण के संबंध में समय-समय पर शासन के आदेश/अधिसूचना लागू होंगे। आरक्षित सीटों की जानकारी काउंसिलिंग के समय दी जाएगी।

ऐसा अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़ कर) प्रवर्ग में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है उसे समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आरक्षण संबंधी नियमों एवं/अथवा निर्देशों में विहित सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित श्रेणी में प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी तथापि मेरिट के आधार पर अनारक्षित सीट पर प्रवेश की पात्रता रहेगी।

टिप्पणी -

- (अ) विभिन्न आरक्षित प्रवर्गों में से अभ्यर्थी केवल एक ही प्रवर्ग में आरक्षण का दावा कर सकता है।
- (ब) जिस प्रवर्ग में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (स) उम्मीदवार द्वारा प्रवर्ग में आरक्षण हेतु विकल्प प्रस्तुत करने के बाद किसी भी स्थिति में उसे निरस्त या उसमें परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

(द)

2.5.2 क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)

‘सैनिक वर्ग’, ‘स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग’ एवं ‘निःशक्तता से बाधित’ अभ्यर्थियों के लिये

सीटों की संख्या कम होने के कारण क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) नहीं रहेगा।

2.5.3 महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षण- शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, शासकीय विश्वविद्यालयीन तथा स्वशासी स्ववित्तीय संस्थाओं की छत्तीसगढ़ की सीटों में प्रत्येक प्रवर्ग (SC, ST, OBC, UR) के अंतर्गत महिला अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु 30 प्रतिशत सीटों का प्रवर्गवार आरक्षण उपलब्ध रहेगा। प्रत्येक संस्था में महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण यथासंभव संस्थावार एवं ब्रांचवार होगा। माइनिंग शाखा में केवल पुरुष अभ्यर्थी को प्रवेश की पात्रता है, अतः इन सीटों में महिला आरक्षण नहीं है। किसी भी प्रवर्ग के अंतर्गत महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा। निजी संस्थाओं में महिला हेतु किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है। आरक्षित सीटों की जानकारी काउंसिलिंग के समय दी जाएगी।

2.6 प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें :-

2.6.1 शैक्षणिक अर्हता

1. बी.ई. पाठ्यक्रम के लिए

(अ) मान्यता प्राप्त संस्थानों से सामान्य वर्ग के लिए 45 प्रतिशत प्राप्तांकों (एग्ग्रेगेट) के साथ अथवा अंतिम वर्ष में 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ के अजा, अजजा एवं अपिव के लिए 40 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(ब) मान्यता प्राप्त संस्थानों से सामान्य वर्ग के लिए 45 प्रतिशत प्राप्तांकों (एग्ग्रेगेट) के साथ अथवा अंतिम वर्ष में 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ बी.एस.सी. उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ के अजा, अजजा एवं अपिव के लिए 40 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त बी.एस.सी. अभ्यर्थियों के लिए 12 वीं में गणित विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बी.एस.सी. अभ्यर्थियों को तभी प्रवेश दिया जाएगा जब डिप्लोमा अभ्यर्थियों की पूरी सूची समाप्त हो जाए।

2. बी.फार्मैसी पाठ्यक्रम के लिए

मान्यता प्राप्त संस्थानों से सामान्य वर्ग के लिए 45 प्रतिशत प्राप्तांकों (एग्ग्रेगेट) के साथ अथवा अंतिम वर्ष में 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ द्विवर्षीय फार्मैसी डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ के अजा, अजजा एवं अपिव के लिए 40 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है

टीप:- 1. 44.5 एवं अधिक को 45 प्रतिशत तथा 39.5 एवं अधिक को 40 प्रतिशत मान्य किया जाएगा।

2. AICTE की नीति के अनुसार दूरस्थ शिक्षा से इंजीनियरिंग डिप्लोमा अभ्यर्थी भी प्रवेश हेतु पात्र होंगे। परंतु ऐसे अभ्यर्थियों को आपने स्टडी सेन्टर का यूजीसी/एआईसीटीई/राज्य शासन से मान्यता प्राप्त होने का दस्तावेज अनिवार्य

रूप से दस्तावेज परीक्षण के समय जमा करना होगा। इस दस्तावेज के अभाव में उन्हें पात्र नहीं माना जायेगा। संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त मान्यता पत्र मान्य नहीं होगा।

2.6.2 छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी होने की आवश्यकता :-

छत्तीसगढ़ कोटे में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी। छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी छत्तीसगढ़ राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये निर्देशों के अंतर्गत यथापरिभाषित होगा एवं नीचे अन्यथा वर्णित को छोड़ सभी अभ्यर्थियों को तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार अथवा वरिष्ठतर अन्य सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा समय-समय पर राज्य शासन के निर्देशों के तहत जारी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र (प्रारूप-5) के साथ जमा किया जाना अनिवार्य है। इस प्रमाण पत्र में प्रकरण क्रमांक, जारी करने की तिथि व न्यायालय/कार्यालय की सील, जारीकर्ता अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ शासन के सार्वजनिक उपक्रमों, अर्धशासकीय निकायों तथा छत्तीसगढ़ के स्थानीय शासनों के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों के राज्य में या राज्य के बाहर पदस्थ होने पर तथा प्रारूप-6 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उनकी संतानों को स्थानीय निवासी मान कर प्रवेश की पात्रता होगी।

भारत सरकार के कार्मिकों, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों, भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के कार्मिकों एवं केन्द्रीय अर्धशासकीय निकायों में कार्यरत कार्मिकों के छत्तीसगढ़ राज्य में इन नियमों के तहत आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि के पूर्व पदस्थ होने पर तथा प्रारूप-7 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उनकी संतानों को भी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी मान कर प्रवेश की पात्रता होगी।

भारत शासन/छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित पिता/माता के सन्तान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी माने जायेंगे। ऐसे पुनर्व्यवस्थापित पिता/माता की सन्तानों को प्रारूप-8 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अभिभावक की परिभाषा :-

अभिभावकों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी अभ्यर्थी के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) की राय में आवेदक के पिता और माता दोनों की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का आदेश प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी के पिता जीवित न हो परंतु माता जीवित हों तो माता को ही अभ्यर्थी का स्वाभाविक अभिभावक माना जाएगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

दत्तक संतान के विषय में स्पष्टीकरण :-

दत्तक संतानों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित प्रवर्ग में दत्तक संतान के आधार पर प्रवेश चाहे तो उसे दत्तक संतान होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिये आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व निष्पादित वैध दत्तकनामा (ऑर्डरेशन डीड) होगा, दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जाएगा जब तक उसकी संपुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक अथवा गत पांच वर्षों में आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये उपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता/माता का नाम ही केवल मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामलों में आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहें हों। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हों तथा उन्हें किन्ही अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होंगे।

2.6.3 आयु सीमा:- स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु दिनांक 01.07.2016 को अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष है। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/निःशक्तता से बाधित/महिला अभ्यर्थियों के लिये आयु सीमा में अधिकतम तीन वर्ष की छूट रहेगी। प्रायोजित अभ्यर्थी के लिए कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं है।

C.G. Lateral Entry Rules for BE/BPh- 2016

आयु सीमा का यह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों पर लागू नहीं होगा।

2.7 प्रवेश हेतु चयन प्रक्रिया -

2.7 (अ) प्रवेश हेतु मेरिट का निर्धारण :-

अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष (पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टर) के समस्त विषयों के केवल सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों के प्राप्तांकों के अधिकतम अंकों के अवरोही क्रम में सम्मिलित प्राविण्यता सूची तैयार की जावेगी। इन प्राविण्यता सूचियों से प्रवेश, काउंसिलिंग द्वारा दिया जायेगा।

समान कुलांक प्राप्त परीक्षार्थियों की प्राविण्यता - समान कुलांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की प्राविण्यता विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर निश्चित की जाएगी :-

1. समस्त विषयों के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषयों को मिलाकर के कुल प्राप्तांक
2. अधिक उम्र के अभ्यर्थी को प्राथमिकता

2.7 (ब) प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम प्राथमिकता का निर्धारण :-

क्रमांक	डिग्री पाठ्यक्रम की ब्रांच का नाम जिसमें प्रवेश दिया जाना है	पात्रता हेतु उत्तीर्ण डिप्लोमा पाठ्यक्रम के ब्रांच का नाम (3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना अनिवार्य है)
1	बायोटेक्नालॉजी	संबंधित ब्रांच - बायोटेक्नालॉजी समुचित ब्रांच - केमिकल इंजीनियरिंग/फूड टेक्नालॉजी/शुगर टेक्नालॉजी/ बायो मेडिकल इंजीनियरिंग
2	केमिकल इंजीनियरिंग	संबंधित ब्रांच - केमिकल इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी समुचित ब्रांच - पेट्रोकेमिकल एंड रिफायनरी इंजीनियरिंग/प्लास्टिक टेक्नालॉजी/सीमेंट टेक्नालॉजी/पल्प एंड पेपर टेक्नालॉजी/शुगर टेक्नालॉजी/पॉलीमर/रबर टेक्नालॉजी/ ऑयल एंड पेंट टेक्नालॉजी/लेदर टेक्नालॉजी/ फूड प्रोसेसिंग टेक्नालॉजी
3	सिविल इंजीनियरिंग	संबंधित ब्रांच - सिविल/ कन्स्ट्रक्शन टेक्नालॉजी एंड मैनेजमेंट समुचित ब्रांच - एनवॉयरमेंट इंजीनियरिंग/सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग/ सिविल एंड सेनेटरी इंजीनियरिंग/ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग
4	कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग	संबंधित ब्रांच - कम्प्यूटर साइंस समुचित ब्रांच - इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी
5	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	संबंधित ब्रांच - इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समुचित ब्रांच - इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग/पावर इंजीनियरिंग
6	इलेक्ट्रानिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन /इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग	संबंधित ब्रांच - इलेक्ट्रानिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन/ इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग समुचित ब्रांच - इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स/इलेक्ट्रानिक्स एंड इंस्ट्रुमेंटेशन/आप्टो इलेक्ट्रानिक्स/इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रानिक्स/मेकाट्रानिक्स/डिजिटल इलेक्ट्रानिक्स/ इन्स्ट्रुमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग/ इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग
7	इलेक्ट्रानिक्स एंड इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजी. /AEI	संबंधित ब्रांच - इलेक्ट्रानिक्स एंड इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजी. समुचित ब्रांच - इलेक्ट्रानिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन/इन्स्ट्रुमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग/ इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग
8	इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग	संबंधित ब्रांच - इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रानिक्स समुचित ब्रांच - इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रानिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन/ आप्टो इलेक्ट्रानिक्स/इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रानिक्स/ मेकाट्रानिक्स/ इन्स्ट्रुमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल/ इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग/ इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग

C.G. Lateral Entry Rules for BE/BPh- 2016

9	इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी	संबंधित ब्रांच - इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी समुचित ब्रांच - कम्प्यूटर साइंस
10	मेकेनिकल इंजीनियरिंग	संबंधित ब्रांच - मेकेनिकल इंजीनियरिंग समुचित ब्रांच - प्रोडक्शन इंजीनियरिंग/रेफ्रीजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग /ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग /मेन्युफेक्चरिंग टेक्नालॉजी/ मेटलर्जी इंजीनियरिंग /इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग /टूल एंड डाई मेकिंग/ फ्रेवीकेशन टेक्नालॉजी एंड इरेक्शन इंजीनियरिंग/ ड्रिलिंग टेक्नालॉजी /मेकाट्रानिक्स, /टेक्सटाइल इंजीनियरिंग/ पल्प एंड पेपर टेक्नालॉजी/ शुगर टेक्नालॉजी/प्लास्टिक टेक्नालॉजी
11	मेकाट्रानिक्स इंजीनियरिंग	संबंधित ब्रांच - मेकाट्रानिक्स इंजीनियरिंग समुचित ब्रांच - इलेक्ट्रानिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन/मेकेनिकल इंजीनियरिंग
12	मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग	संबंधित ब्रांच - मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग समुचित ब्रांच - मिनरल इंजीनियरिंग /सिरेमिक इंजीनियरिंग
13	माइनिंग इंजीनियरिंग	संबंधित ब्रांच - माइनिंग इंजीनियरिंग समुचित ब्रांच - माइन सर्वेइंग /ड्रिलिंग इंजीनियरिंग/ मिनरल इंजीनियरिंग
14	प्रोडक्शन इंजीनियरिंग	संबंधित ब्रांच - प्रोडक्शन इंजीनियरिंग समुचित ब्रांच - मेकेनिकल इंजीनियरिंग/रेफ्रीजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग /ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग /मेन्युफेक्चरिंग टेक्नालॉजी/ मेटलर्जी इंजीनियरिंग /इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग /टूल एंड डाई मेकिंग/ फ्रेवीकेशन टेक्नालॉजी एंड इरेक्शन इंजीनियरिंग/ ड्रिलिंग टेक्नालॉजी /मेकाट्रानिक्स, /टेक्सटाइल इंजीनियरिंग/ पल्प एंड पेपर टेक्नालॉजी/शुगर टेक्नालॉजी/प्लास्टिक टेक्नालॉजी
15	बी. फार्मसी	डी. फार्मसी (द्विवर्षीय)

टीप :-

1. सबसे पहले संबंधित ब्रांच के अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जावेगी। यदि सीट रिक्त हो और संबंधित ब्रांच के अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो फिर समुचित ब्रांचों को समान मानते हुये एकजाई मेरिट के आधार पर आबंटन किया जायेगा। किसी ब्रांच के नाम में इंजीनियरिंग अथवा टेक्नालॉजी प्रत्यय होने पर उसे समान माना जाएगा।
2. बी.एस.सी. अभ्यर्थी डिप्लोमा अभ्यर्थी के पश्चात सीट रिक्त रहने पर किसी भी ब्रांच (फार्मसी को छोड़कर) में प्रवेश हेतु पात्र हैं।
3. किसी ब्रांच के समतुल्य होने के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होने पर काउंसिलिंग समिति का निर्णय मान्य होगा।
4. यह नियमित कोर्स है एवं नौकरी पेशा अभ्यर्थी को प्रवेश के लिए अपने नियोक्ता से इस संबंध में अनापत्ति /प्रायोजन प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। इनके लिए कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं है।
5. बी.एस.सी. स्नातकों को तकनीकी विश्वविद्यालय के नियमानुसार इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप, एप्लाड मेकेनिक्स, बेसिक इंजीनियरिंग आदि विषय का अतिरिक्त अध्ययन कर इन विषयों की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। डिप्लोमाधारी को भी तकनीकी विश्वविद्यालय के नियमानुसार गणित, भौतिक, रसायन आदि एवं अन्य विषय को अतिरिक्त अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। इसकी जानकारी CSVTU, Bhilai से प्राप्त की जा सकती है।

2.8 प्रवेश प्रक्रिया (Admission Procedure)

2.8.1 अभ्यर्थियों को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष के सैद्धांतिक विषयों Theory Subjects के केवल सैद्धांतिक प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की गई प्राविण्यता क्रम सूचियों के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रवेश परामर्श /ऑनलाइन काउंसिलिंग द्वारा दिया जायेगा। काउंसिलिंग समिति सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित की जाएगी।

काउंसिलिंग हेतु उपस्थित होने के लिए काउंसिलिंग की तिथियां छत्तीसगढ़ के समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। अतः अर्हकारी परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात काउंसिलिंग की तिथियों की जानकारी हेतु अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के प्रमुख समाचार पत्रों के अंक प्रतिदिन आवश्यक रूप से देखते रहें। काउंसिलिंग की तिथियों की जानकारी तकनीकी शिक्षा संचालनालय की अधिकृत वेबसाइट www.cgdtaraipur.ac.in में देखी जा सकती है। इस संबंध में अभ्यर्थियों को अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जायेगी।

C.G. Lateral Entry Rules for BE/BPh- 2016

काउंसिलिंग के समय अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अर्हकारी परीक्षा अनुत्तीर्ण या पूरक (कम्पार्टमेंट) अभ्यर्थी काउंसिलिंग के पात्र नहीं होंगे।

2.8.2 काउंसिलिंग हेतु निर्धारित फीस :- सभी अभ्यर्थियों को ऑन लाईन काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिये निर्धारित काउंसिलिंग शुल्क रु.300/- (रुपये तीन सौ केवल) की राशि जमा करना अनिवार्य है। जमा करने का माध्यम काउंसिलिंग से पूर्व तकनीकी शिक्षा संचालनालय की अधिकृत वेबसाइट www.cgdteraipur.ac.in पर दी जायेगी।

2.8.3 ऑनलाईन काउंसिलिंग की प्रक्रिया :- ऑनलाईन काउंसिलिंग के अन्तर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया की जानकारी काउंसिलिंग से पूर्व वेबसाइट www.cgdteraipur.ac.in पर दी जायेगी।

2. दस्तावेज परीक्षण कराना (Document Verification) –

संस्था आबंटन से पूर्व आपके दस्तावेजों का परीक्षण होना अनिवार्य है, इसके बिना आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा। दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है,। दस्तावेज परीक्षण का कार्य संचालनालय द्वारा निर्धारित दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों में से किसी भी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में कराया जा सकता है। ध्यान रहे कि यदि आपने विकल्प तो भरा है परंतु दस्तावेजों का परीक्षण नहीं कराया है तो आपका प्रकरण आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा क्योंकि DVC द्वारा आपका आवेदन कन्फर्म करने के पश्चात् ही आपका विकल्प डाटाबेस में आयेगा (दस्तावेज परीक्षण केन्द्र कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में खुले रहेंगे, केवल दोपहर 1.30 से 2.00 बजे के मध्य भोजनावकाश रहेगा)।

दस्तावेज परीक्षण के समय भी यदि आपको लगता है कि आपने विकल्प गलत भर दिये हैं अथवा उनके क्रम अलग दे दिये हैं तो दस्तावेज परीक्षण कार्य को ऑनलाईन दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा कन्फर्म करने से पूर्व आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। जो अंतिम बदलाव होगा वही मान्य होगा। एक बार दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा आपका आवेदन कन्फर्म कर देने के पश्चात् फिर विकल्प में फेरबदल नहीं हो सकता।

दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों की सूची निम्नानुसार है :-
(सूची में परिवर्तन हो सकता है। जिसकी जानकारी वेबसाइट में दी जायेगी)

स. क्र.	दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों का नाम एवं पता	जिला	दूरभाष क्रमांक	स. क्र.	दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों का नाम एवं पता	जिला	दूरभाष क्रमांक
1	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय सेजबहार रायपुर	रायपुर	0771-2421376	12	रामकृष्ण राठौर शासकीय पॉलीटेक्निक, जांजगीर, पेन्ड्री	जांजगीर	07817-222456
2	शासकीय पॉलीटेक्निक, अंबिकापुर, मनेन्द्रगढ़ नाका, अंबिकापुर	सरगुजा	07774-220609	13	किरोड़ीमल शासकीय पॉलीटेक्निक, रायगढ़, चक्रधर नगर, रायगढ़	रायगढ़	07762-222737
3	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर, कोनी, बिलासपुर	बिलासपुर	07752-260289	14	शासकीय पॉलीटेक्निक, कबीरधाम, पुराना जिला पंचायत भवन, कबीरधाम	कबीरधाम	07741-232636
4	शासकीय पॉलीटेक्निक, भकरपुर, नारायणपुर	नारायणपुर	07781200078	15	इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कोरबा, बालको, उरगा, रिंग रोड, कोरबा	कोरबा	07759-659874
5	शासकीय पॉलीटेक्निक, तखतपुर, मेन रोड, तखतपुर	बिलासपुर	07753-264963	16	शासकीय पॉली. महासमुन्द, बी.टी. आई. रोड, महासमुन्द	महासमुन्द	07723-224818
6	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जगदलपुर, धरमपुरा नं- 2, जगदलपुर	बस्तर	07782-229436	17	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक बायरन बाजार, रायपुर,	रायपुर	0771-2423045
7	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, धरमपुरा नं. -2, जगदलपुर	बस्तर	07782-229230	18	मिनीमाता शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक पेन्ड्री, राजनांदगोंव,	राजनांदगोंव	07744-292955
8	भोपाल राव पवार शासकीय पॉलीटेक्निक, धमतरी, रूद्री, धमतरी	धमतरी	07722-237618	19	शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़, मेन रोड, खैरागढ़	राजनांदगोंव	07820-234010
9	उदय प्रसाद उदय शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग, जी.ई. रोड, दुर्ग	दुर्ग	0788-2323548	20	शासकीय पॉलीटेक्निक, गरियाबंद	गरियाबंद	07706241303
10	शासकीय पॉलीटेक्निक रामानुज उच्च. मा. शाला भवन, बैकुण्ठपुर	कोरिया	07836232070	21	शासकीय पॉलीटेक्निक पुराना कोर्ट भवन कांकेर	कांकेर	07868222081
11	शासकीय पॉलीटेक्निक, शास. एन.ई.एस. पी.जी. कालेज केम्पस, जशपुर	जशपुर	07763220051	22	शासकीय पॉलीटेक्निक वैकटराव कालेज केम्पस, बीजापुर	बीजापुर	07853220015

यह हो सकता है कि किसी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या आ रही हो ऐसा होने पर किसी अन्य नजदीकी संस्था में जाकर दस्तावेज परीक्षण कराया जा सकता है।

2 (अ) दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास सारे आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं एवं आपने उसके एक सेट फोटो कॉपी करा लिये हैं। जो दस्तावेज आपको लेकर दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जाना है वे निम्नानुसार हैं :-

सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य दस्तावेज :- सभी प्रमाण पत्रों के मूल (Original) एवं 1 सेट फोटोकॉपी लेकर जाना अनिवार्य है परंतु मूल प्रमाण पत्र DVC में जमा नहीं करना है। केवल दिखाना है एवं वापस प्राप्त करना है। सभी प्रमाण पत्र वापस प्राप्त करने की जिम्मेदारी स्वयं छात्र की रहेगी।

1. कम्प्यूटर से प्रिंट किया गया एप्लीकेशन कम ऑप्शन फार्म की प्रति।
2. 10वीं की अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र।
3. डिप्लोमा/बीएससी की समस्त सेमेस्टर/वर्षों की अंकसूचियां (यदि मूल अंकसूची न हो तो इंटरनेट से निकाला हुआ भी ला सकते हैं)। दस्तावेज परीक्षण के दिन अभ्यर्थी को डिप्लोमा/बीएससी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, पूरक/अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी का दस्तावेज परीक्षण नहीं किया जायेगा।
4. छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण-पत्र 4 प्रारूपों (प्रारूप क्रमांक - 5, 6, 7 या 8) में से किसी एक प्रारूप में (च्वाईस सेंटर से बना निवास प्रमाण पत्र भी मान्य होगा)।
5. पासपोर्ट साइज फोटो भी लेकर आना है।

छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित श्रेणियों के लिये अनिवार्य दस्तावेज :-

6. छत्तीसगढ़ राज्य के SC/ST/OBC होने के लिये स्थायी जाति प्रमाण पत्र (अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथापि अनारक्षित श्रेणी में मेरिट के आधार पर आबंटन किया जायेगा)। अन्य राज्य के SC/ST/OBC के प्रमाण पत्र धारी को छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने पर भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथापि अनारक्षित श्रेणी में मेरिट के आधार पर आबंटन किया जायेगा।
7. यदि आवेदक बी.पी.एल. परिवार में आता है तो सक्षम अधिकारी से जारी पालक का बी.पी.एल.कार्ड।

यदि आपके पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो डाटाबेस में दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा आपका प्रवर्ग (category) SC/ST/OBC को परिवर्तित कर UR कर दी जायेगी एवं आपका आबंटन UR के मेरिट के आधार पर होगा न कि आरक्षित श्रेणी के आधार पर।

2.8.4 यदि अभ्यर्थी दस्तावेज परीक्षण हेतु उपस्थित होने में असमर्थ रहता है या दस्तावेज परीक्षण के समय आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो वह अपनी योग्यताक्रमानुसार संस्था/ब्रांच के चयन का अवसर खो देगा तथा बाद में यदि संस्था स्तर की काउंसिलिंग होती है तो उसमें प्रवेश हेतु पात्र रहेगा।

2.8.5 **गंभीर बीमारी :-** यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने के कारण नियत तिथि पर उपस्थित रहने में असमर्थ है और वे इस आशय का चिकित्सा प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/संबंधित चिकित्सालय के प्राधिकृत अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करते हैं, तो उनके पिता/अभिभावक जिन्हें अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत किया है, उसके स्थान पर दस्तावेज परीक्षण हेतु सम्मिलित हो सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश लेने के उपरांत यदि दस्तावेजों के प्रवेशित संस्था के स्तर पर सत्यापन के समय यदि यह पाया जाता है कि उसके द्वारा गलत जानकारी दी गई है तो उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा और संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही के लिए विभाग सक्षम होगा।

2.8.6 उन संस्थाओं के लिये जिन संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षित प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो अनारक्षित प्रवर्ग की योग्यताक्रम सूची में स्थान प्राप्त करेंगे उनकी गणना अनारक्षित प्रवर्ग में की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार अनारक्षित प्रवर्ग अथवा संबंधित आरक्षित प्रवर्ग के अंतर्गत उपलब्ध संस्था/ब्रांच का चयन प्राविण्यता के आधार पर कर सकेंगे।

2.8.7 (अ) किसी भी प्रवर्ग के अंतर्गत बिना वर्ग में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को निम्नानुसार अन्य प्रवर्ग में परिवर्तित कर भरा जाएगा।

अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग (ST) के लिये आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जाति (SC) के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति (SC) के लिये आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जनजाति (ST) के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। इन दोनों प्रवर्गों के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इन प्रवर्गों के रिक्त स्थानों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। जब इन तीनों प्रवर्गों के अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थान अनारक्षित प्रवर्ग (UR) के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे।

(ब) रिक्त सीटों का परिवर्तन नियमानुसार प्रत्येक चरण में किया जायेगा।

2.8.8 एक बार अभ्यर्थी काउंसिलिंग के प्रथम/द्वितीय चरण में किसी पाठ्यक्रम/संस्था में आबंटन प्राप्त कर लेता है और काउंसिलिंग के अगले चरण होते हैं तो अभ्यर्थी उसमें भाग ले सकता है। यदि संस्था स्तर की काउंसिलिंग की अनुमति दी जाती है तो इसमें भी पूर्व प्रवेशित छात्र शामिल हो सकता है।

2.8.9 छात्र द्वारा प्रवेश निरस्त कराने पर फीस वापसी के नियम :-

1. काउंसिलिंग के दौरान अपना प्रवेश रद्द करवाने पर ₹.1000/- की कटौती संबंधित संस्था द्वारा करने के पश्चात् शेष राशि संबंधित संस्था द्वारा वापस की जायेगी।
2. काउंसिलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराने पर प्रवेश तिथि से निरस्त की तिथि तक शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क तथा विकास शुल्क (Tuition & Other Fees and Development Fees) की मासिक आनुपातिक राशि की कटौती संस्था द्वारा की जायेगी एवं शेष राशि अभ्यर्थी को संस्था द्वारा वापस की जायेगी। कॉशन मनी पूरी वापस की जायेगी। कटौती की जाने वाली फीस की गणना निम्न फार्मूला से की जायेगी :

$$\text{Deductable Fees} = \text{No. of admitted months} * \text{Total fees/ No. of months in a Semester as declared by University}$$

फीस में शिक्षण शुल्क, विकास शुल्क एवं अन्य शुल्क सम्मिलित हैं। प्रत्येक माह को 31 दिवस के गुणांक में माना जायेगा। यदि उससे अधिक दिवस होता है तो उसे एक माह के बराबर माना जायेगा।

अ. प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराने पर फीस वापसी फीस विनियामक समिति/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

2.8.10 संस्था स्तर की काउंसिलिंग :-

ऑन लाईन काउंसिलिंग की 3 चरण करने के पश्चात् भी यदि संस्थाओं में सीटें रिक्त रह जाती है और यदि सक्षम अधिकारी की राय में इसके पश्चात् संस्था स्तर की काउंसिलिंग कराये जाने की आवश्यकता हो तो प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व संस्था स्तर की काउंसिलिंग की अनुमति दी जा सकेगी। संचालनालय से बिना पूर्व अनुमति के संस्था स्तर की काउंसिलिंग नहीं की जा सकेगी।

संस्था स्तर की काउंसिलिंग विभिन्न संस्थाओं द्वारा इस हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर तथा रिक्त सीटों की जानकारी देकर करनी होगी। किसी संस्था में उपलब्ध रिक्त सीट पर प्रवेश हेतु अन्य संस्थाओं के छात्रों के साथ उसी संस्था के छात्र भी शामिल हो सकते हैं।

2.8.11 **प्रवेश की अंतिम तिथि :-** स्नातक पाठ्यक्रमों में सत्र 2016-17 में लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष में प्रवेश की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2016 निर्धारित की जाती है। इस संबंध में माननीय न्यायालय/शासन का निर्णय अंतिम होगा।

2.9 संचालनालय/संस्था द्वारा प्रवेश रद्द करना - यदि यह पाया गया कि कोई अभ्यर्थी किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात किसी भी समय यह पाया गया कि अभ्यर्थी को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश संस्था द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान तुरंत बिना सूचना के रद्द किया जा सकेगा प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर तकनीकी शिक्षा संचालक छत्तीसगढ़ द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

2.10 अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर छत्तीसगढ़ राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

C.G. Lateral Entry Rules for BE/BPh- 2016

- 2.11 छत्तीसगढ़ राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

C.G. Lateral Entry Rules for BE/BPh- 2016

2.12 शिक्षण शुल्क :-

अ. शासकीय संस्था हेतु :-

क्रमांक	प्रवर्ग का विवरण	वार्षिक आय सीमा (रूपये) समस्त स्रोतों से	वार्षिक शिक्षण शुल्क एवं विकास शुल्क
1	अनारक्षित प्रवर्ग	धनरंक	रु. 18000/-
2	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के अभ्यर्थी जिनके माता/पिता/अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय	(अ) 2,50,000 ढाई लाख तक है	देय नहीं (प्रतिपूर्ति होगा)
		(ब) 2,50,000 से अधिक	पूरा शुल्क देय है।
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जिनके माता/पिता/अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय	(अ) 1,00,000/- तक है	देय नहीं (प्रतिपूर्ति होगा)
		(ब) 1,00,000/- से अधिक	पूरा शुल्क देय है।
4	छात्राओं से शिक्षण शुल्क	सभी प्रवर्ग के छात्राओं को शिक्षण शुल्क देय नहीं है।	

टिप्पणी : सत्र 2015-16 के लिये शिक्षण शुल्क रूपये 18000/- प्रतिवर्ष लागू था, वर्ष 2016 -17 के लिये शासन यदि कोई परिवर्तन करता है तो वह लागू होगा। उपरोक्त शिक्षण शुल्क एवं विकास शुल्क के अतिरिक्त लगभग रु.3000/- अन्य फीस भी देय है।

(ब) स्वशासी-स्ववित्तीय एवं निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय हेतु :- लेटरल एंट्री में सत्र 2016-2017 में सीधे तृतीय सेमेस्टर में प्रवेशित छात्रों की शुल्क सत्र 2015-16 में प्रथम वर्ष के लिये लागू शुल्क के समान होगा। “छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008” के अंतर्गत गठित की गई “प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति” द्वारा बी.ई.की सत्र 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के लिए प्रथम वर्ष में प्रवेश की फीस का निर्धारण कर दिया गया है। इस संबंध में शासन से आदेश जारी होना अपेक्षित है। आदेश जारी होते ही अंतिम शुल्क की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जायेगी। तब तक सत्र 2015-16 के लिए “प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति” द्वारा संकल्पित अंतरिम शुल्क देय होगी। जो कि निम्नानुसार है :-

फीस (Fee) निम्नानुसार निर्धारित है :-

S.N.	Name of Institution	Total Fee (Per Semester) in Rs. (Inclusive of Tution fee, Growth & Development charges, weightageAndAll other Miscellaneous Fee)
1	Ashoka Institute of Technology & Management, Rajnandgaon	31600
2	Bharti College of Engineering & Technology Durg	32850
3	Bhilai Institute of Technology, Kendri, Distt. Raipur	31200
4	Bhilai Institute of Technology, Bhilai House, Durg	34100
5	Central College of Engineering & Management, Raipur	34100
6	Central Institute of Technology, Distt – Raipur	28700
7	Chhatrapati Shivaji Institute of Technology, Durg	34100
8	Chhattisgarh Engineering College, Distt – Durg	29950
9	Chhattisgarh Institute of Management & Technology, Bhilai	34100
10	Chhattisgarh Institute of Technology, Rajnandgaon	34100
11	Choukse Engineering College, Lal Khadan, Bilaspur	34100
12	Columbia Institute of Engg. & Technology, Raipur	34100
13	Disha Institute of Management & Technology, Raipur	34100
14	Dr. C.V. Raman Institute of Science & Technology, Bilaspur	32850
15	Garv Institute of Management & Technology, Durg	31600
16	GD Rungta College of Engg. & Tech. Bhilai	34100
17	Institute Of Technology, Korba	32850

C.G. Lateral Entry Rules for BE/BPh- 2016

18	J.K. Institute of Engineering, Village - Gatora, Bilaspur	32850
19	Kirodimal Institute of Technology , Raigarh	31600
20	Kruti Institute of Technology & Engineering Nardaha, Raipur	32850
21	Lakhmi Chand Inst of Technology, Vidyastahali, Bilaspur	34100
22	Maa Bamleshwari Institute of Tech. & Management,Dongargarh,	28700
23	MM College of Technology, Umariya, Raipur	34100
24	MP Christian College of Engineering & Technology, Bhilai	34100
25	OP Jindal Institute of Technology, Punji Pathara, Raigarh	32850
26	Parthivi College of Engineering & Management,Distt – Durg	29950
27	Professional Institute of Engg.And Technology, Distt- Raipur	29950
28	Raipur Institute of Technology, Raipur	34100
29	RSR, Rungta College of Engg. & Technology, Bhilai	34100
30	Rungta College of Engineering & Technology, Bhilai	34100
31	Rungta College of Engineering & Technology, Distt- Raipur	31200
32	Rungta Engineering College, Raipur	31200
33	MATS School of Engg &Tech., MATS University,Arang, Raipur	32850
34	Shri Rawatpura Sarkar Institute of Tech. , Pacheda, Raipur	34100
35	Shri Rawatpura Sarkar Institute of Technology-II , Raipur	28700
36	Shri Sankaracharya Institute of Professional Mngt & Tech., Raipur	34100
37	Shri Sankaracharya Institute of Tech. & Management, Bhilai	34100
38	Shri Shankaracharya College of Engg. & Technology, Bhilai	34100
39	Shri Shankaracharya Engineering College, Bhilai	34100
40	Shri Shankaracharya Institute of Engineering & Technology, Durg	31200
41	Sun Engineering College , Durg	29950
42	Pragati College of Engineering & Management, Raipur	31200
42	Yugantar Institute of Technology & Management, Rajnandgaon	32850
44	Rungta Engineering College, Bhilai	29950

उपरोक्त अंतिम शुल्क में शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त विकास शुल्क (रु. 2200/- प्रति सेमेस्टर) एवं अन्य विविध शुल्क (रु. 2000/- प्रति सेमेस्टर) सम्मिलित है।

(स) निजी फार्मसी संस्थाओं के लिए :- लेटरल एंट्री में सत्र 2015-2016 में सीधे तृतीय सेमेस्टर में प्रवेशित छात्रों की शुल्क सत्र 2014-15 में प्रथम वर्ष के लिये लागू शुल्क के समान होगा “छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008” के अंतर्गत गठित की गई “प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति” द्वारा बी.फार्मसी की सत्र 2014-2018 की फीस का निर्धारण कर दिया गया है। इस संबंध में शासन से आदेश जारी होना अपेक्षित है। आदेश जारी होते ही अंतिम शुल्क की जानकारी वेबसाईट पर उपलब्ध करा दी जायेगी। तब तक सत्र 2015-16 के लिए “प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति” द्वारा संकल्पित अंतरिम शुल्क देय होगी। जो कि निम्नानुसार है :-

फीस (Fee) निम्नानुसार निर्धारित है :-

S.N.	Name of Institution	B Pharmacy Total Fee (Per Semester)Inclusive of Growth & Development charges, weightageAndAll other Miscellaneous Fee Rs
1	Columbia College of Pharmacy, Raipur	31765
2	Rawatpura Sarkar Institute, Kumhari, Durg	31765
3	Rungta College of Pharmaceiutical Science & Reasearch, Bhilai	31765
4	School of Pharmacy, Choukse Engineering College, Bilaspur	31765
5	Royal College of Pharmacy Science, Raipur	30515

C.G. Lateral Entry Rules for BE/BPh- 2016

6	Shri Shankaracharya Institute of Pharmaceutical Science, Bhilai	31765
7	Apolo College of Pharmacy, Infront of Veterniary College, Anjora, Durg	31765
8	J.K. College of Pharmacy, Karbala Road, Opp. B.J.P. Office, Bilaspur	30515
9	Siddhi Vinayak Institute of Technology & Science, Uslapur, Bilaspur	30515

उपरोक्त अंतिम शुल्क में शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त विकास शुल्क (रु.2365/- प्रति सेमेस्टर) एवं अन्य विविध शुल्क (रु.2000/- प्रति सेमेस्टर) सम्मिलित है।

टीप : निजी संस्था में शुल्क नगद जमा नहीं किया जाना है। शुल्क संस्था द्वारा निर्धारित राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाते में चालान के माध्यम से, डी.डी., चेक अथवा किसी अन्य बैंकिंग इंस्ट्रुमेंट के माध्यम से ही जमा किये जायें।

2.15 रैगिंग

2.15.1 परिभाषा :- रैगिंग से अभिप्रेत है किसी छात्र को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो या किसी विधिपूर्ण कार्य करने से प्रविरत करना, आपराधिक, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, या उसे क्षति पहुँचाना या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग करना।

2.15.2 रैगिंग का प्रतिशेध :- किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र या तो प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा।

2.15.3 दण्ड :- यदि कोई व्यक्ति रैगिंग के प्रतिशेध के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह या तो कारावास से जो 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी या जुर्माने से जो 5 हजार रुपये से अधिक नहीं होगी या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होगा।

2.15.4 अपराधों का गिरण :-

इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध का गिरण द्वितीय वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

2.15.5 छात्र के निष्कासन के लिये निर्योग्यता :-

इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या गिरण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये अभियुक्त छात्र को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा।

किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिये जिम्मेदार होगा।

ऐसा छात्र जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, को किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(वाय.पी.दुपारे)

अवर सचिव

छ.ग. शासन

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

ABBREVIATIONS

F	-	Female quota seats
S	-	Sainik.
FF	-	Freedom Fighter.
PH	-	Physically Handicap (Person With Disability)
SC	-	Scheduled Caste
ST	-	Scheduled Tribe
OBC	-	Other Backward Class
UR	-	UnReserved
OP	-	Open for both Male & Female
CE	-	Civil Engineering
CH	-	Chemical Engineering
CS	-	Computer Science & Engineering
EE	-	Electrical Engineering
ECE	-	Electronics & Communication Engineering
IT	-	Information Technology
ME	-	Mechanical Engineering
MN	-	Mining Engineering
EEE	-	Electrical & Electronics Engineering
EI	-	Electronics & Instrumentation
BT	-	Biotechnology
MT	-	Metallurgical Engineering
MCT	-	Mechatronics Engineering

C.G. Lateral Entry Rules for BE/BPh- 2016

**Table -1
Branchwise intake of Engineering Institutions for Lateral Entry 2016 -17**

B. E. Lateral Entry Session 2016-17 (May be changed)																	
S.N.	Name of Institutes	AE	ATO	BT	CE	CH	CS	EE	EEE	ET&T	E&I	IT	ME	MN	MCT	PE	Total
1	Govt. Engineering College, Bilaspur				4		8	12		8		8	8	4			260
2	Govt. Engineering College, Jagdalpur				12			6		12		6	6	12			270
3	Govt. Engineering College, Raipur				8		12		12	12			12				280
4	Institute of Technology, Korba				12		12		12				12				240
5	Kirodimal Institute of Technology, Raigarh				12		12	12		12		12	12				360
6	Ashoka Institute of Technology & Management Rajnandgaon				10		9	6		6			12				213
7	Bharti College of Engineering & Technology, Durg				19		10	10		10			18				336
8	Bhilai Institute of Technology, Bhilai House, Durg				12		20	12	12	24		12	24				579
9	Bhilai Institute of Technology, Kendri, Raipur				14		12		12	12			14				318
10	SUN Engineering College, Vill+Post- Chandkhuri, Durg				12		12	0	12	12			24				360
11	Central College of Engineering & Management, Kabir Nagar Raipur				10		9			9			20				240
12	Central Institute of Technology, Bhelwadih, Th - Abhanpur, Raipur				12		12		12	12			12	12			360
13	Chhatrapati Shivaji Institute of Technology, Durg						18		14	18	9	9	18		9		474
14	Chhattisgarh Institute of Management & Technology, Bhilai-3				9		9		9	13		0	18				292
15	Chhattisgarh Institute of Technology, Rajnandgaon				9		13		9	9		9	18				337
16	Chhattisgarh Engineering College, Borsi-Dhanora Road, Durg				18		9		9	9			25				350
17	Choukse Engineering College, Lal Khadan, Masturi Road, Bilaspur				11		16		15	21			15				390
18	Columbia Institute of Engg. & Technology, Tekari, Raipur				14		9		9	9		0	25				329
19	Shri Shankaracharya Institute of Engineering & Technology, Durg				19		10			10			25				319
20	Disha Institute of Management & Technology, Raipur						18		12	12			24				330
21	Dr. C.V. Raman Institute of Science & Technology, Bilaspur				24		12	12	12	12		12	24				540
22	Garv Institute of Management & Technology, Durg						7	14		7		7	15				252
23	GD Rungta College of Engg.& Tech., Bhilai				14		10			19		10	18			10	403

C.G. Lateral Entry Rules for BE/BPh- 2016

S.N.	Name of Institutes	AE	ATO	BT	CE	CH	CS	EE	EEE	ET&T	E&I	IT	ME	MN	MCT	PE	Total
24	J.K. Institute of Engineering, Opp. B.J.P. Office, Bilaspur				12		12			12			24				300
25	Kruti Institute of Technology & Engineering, Nardaha, Raipur				12		6		6	6			12				210
26	Lakhmi Chand Inst of Technology, Vidyastahali, Bilaspur				12		8	12	9	8			12				306
27	MM College of Technology, Raipur				8		7		7	7			7	12			240
28	Christian College of Engineering & Technology, Bhilai						12	14		12			18				279
29	Parthivi College of Engineering & Management, , Bhilai-3, Durg				10		10	10		9			25				319
30	Pragati College of Engineering & Management, Sejbahar, Raipur				10		9		10	10			14				263
31	Professional Institute of Engineering and Technology, Raipur				12		12			12			12				240
32	Raipur Institute of Technology, Raipur			4	13	6	11			11		7	19				354
33	Shri Rawatpura Sarkar Institute of Technology-II, New Raipur				19		10		9	10			19				336
34	Rungta Engineering College ,Raipur		10		19		10			9			28				382
35	RSR, Rungta College of Engg. & Technology, Bhilai				17		10		14	19		10	17				433
36	Rungta College of Engineering & Technology, , Bhilai		12		14		19	19	14	19		10	29				680
37	Rungta College of Engineering & Technology, , Raipur				19		10			10			28				334
38	MATS School of Engineering &Tech., MATS University, Arang, Raipur	12			12		12	12		12		12	24	12			540
39	Shri Rawatpura Sarkar Institute of Technology, Pacheda, Raipur				15		11	11		11		11	21				398
40	Shri Sankaracharya Institute of Professional Mangt & Tech, Raipur				16		15			24		12	24				456
41	Shri Sankaracharya Institute of Technology & Management , Bhilai				15		14		15	15		11	22				458
42	Shri shankaracharya group of Institutions (faculty of Engg&Tech)Bhilai				18		27	15	22	26	15	22	26				854
43	Shri Shankaracharya Engineering College, Bhilai						15			21		11	22				344
44	Yugantar Institute of Technology & Management, Rajnandgaon				17		8		8	13			17				315
45	Vishwavidyalaya Engineering College, Lakhanpur (Surguja university, Ambikapur)				12		12	12					12				240

C.G. Lateral Entry Rules for BE/BPh- 2016

S.N.	Name of Institutes	AE	ATO	BT	CE	CH	CS	EE	EEE	ET&T	E&I	IT	ME	MN	MCT	PE	Total
46	Rungta Engg. College , Bhilai				24		12	12	12				24				420
47	Krishna Engg. College, Bhilai				12		12	12		12			12				300
	TOTAL	12	22	4	573	6	543	213	287	556	24	191	867	52	9	10	16833

Table -2 फार्मसी संस्थानों में बी.फार्मसी पाठ्यक्रम में लेटरल एंटी के लिए प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों का विवरण सत्र 2016 -2017

Intake For B.Pharmacy Lateral for 2016-17		
S.N.	Name of B.Pharmacy Institution	Intake
1	Institute of Pharmacy, Pandit Ravishankar Shukla University Raipur	12
2	Apolo College of Pharmacy, Infront of Veterniary College, Anjora, Durg	12
3	Columbia Institute of Pharmacy, Tekari, Raipur	24
4	J.K. College of Pharmacy, Karbala Road, Opp. B.J.P. Office, Bilaspur	12
5	Shree Rawatpura Sarkar Institute of Pharmacy, Kumhari, Durg	24
6	Rungta College of Pharmaceiutical Science & Reasearch, Bhilai	24
7	School of Pharmacy, Choukse Engineering College, Bilaspur	12
8	Royal College of Pharmacy Science, Raipur	12
9	Shri Shankaracharya group of institution faculty of Pharmaceutical studies ,Bhilai	12
10	Siddhi Vinayak Institute of Technology & Science, Uslapur, Bilaspur	12
	Total	156

प्रमाणपत्रों के प्रारूप

प्रारूप - 1

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

(नियम 2.5.1)

अनुभाग जिला छत्तीसगढ़
पुस्तक क्रमांक
प्रमाण पत्र क्रमांक प्रकरण क्रमांक

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्रीपिता/पति का नाम निवासी ग्राम/नगरपटवारी हल्का नं. वि.खं. तहसीलजिला संभाग जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति /जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह जाति/जनजाति एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सूची में अनुक्रमांक..... पर अंकित है अतः श्री/सुश्री पिता/पति का नाम अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये है।

दिनांक-

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम एवं सील

प्रारूप-2

छत्तीसगढ़ की अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़ कर) प्रवर्ग
के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले प्रमाण पत्र
(नियम 2.5.1 देखें)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी प्रमाणीकरण

अनुभाग जिला छत्तीसगढ़
पुस्तक क्रमांक प्रमाण पत्र क्रमांक

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री
आत्मज श्री निवासी ग्राम जिला
संभाग छत्तीसगढ़ के निवासी है, जो जाति के हैं, जिसे
पिछड़ा वर्ग के रूप में छत्तीसगढ़ आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ
8-5/25/4/84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा अधिमन्य किया गया है।

श्री और/या उनका परिवार सामान्यतः छत्तीसगढ़ के जिला
संभाग में निवास करता है व छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक
को प्रवजन कर चुका है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री क्रीमीलेयर (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की
प्रवर्ग में नहीं आते हैं, जिनका उल्लेख भारत सरकार, कर्मियों एवं प्रशिक्षण के परिपत्र क्रमांक 360/2122/93/स्था.(एस.सी.टी.)
दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची में कालम -3 में तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ
7-26/93/1 आ.प्र. दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट ई की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री के परिवार की कुल
वार्षिक आय रुपये है।
दिनांक

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम एवं सील

C.G. Lateral Entry Rules for BE/BPh- 2016

प्रारूप - 5
स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र
(नियम 2.6.2)

क्रमांक

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री

आत्मज/आत्मजा/पत्नीनिवासी.....

तहसील व जिला..... छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है, क्योंकि वह -

1/ निम्नलिखित चार में से किसी एक कण्डिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति करता है :-

1. वह छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है/हुई है।

2. (क) वह,

अथवा

(ख) उसके पालकों में से कोई -

अथवा

(ग) उसके पालकों में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैद्य अभिभावक (गार्जियन) छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है।

3. उसके पालकों में से कोई भी:-

(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्ति कर्मचारी है

अथवा

(ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत है,

4. (क) वह स्वयं

अथवा

(ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं।

परंतु उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति भी करता है।

5. उसने अपनी शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है,

6. उसने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों अर्थात:-

(क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8 वीं कक्षा की परीक्षा.

C.G. Lateral Entry Rules for BE/BPh- 2016

(ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटर मीडिएट, हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो आठवीं कक्षा की परीक्षा.

(ग) अन्य मामलों में पांचवीं कक्षा की परीक्षा,

2/ उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे:-

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को आबंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पत्नी/पति अथवा संतान

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों की पत्नी/पति अथवा संतान।

(ग) छत्तीसगढ़ में संवैधानिक या अन्य विधिक (Statutory) पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पत्नी/पति अथवा संतान।

(घ) राज्य के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम या मंडल या आयोग में पदस्थ पदाधिकारी/ अधिकारी/कर्मचारी, उनकी पत्नी/पति अथवा संतान।

3/ उपरोक्त मापदण्डों के अनुरूप जो व्यक्ति स्थानीय निवासी माना जायेगा, उसकी पत्नी/पति अथवा संतान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....
पदनाम एवं सील

C.G. Lateral Entry Rules for BE/BPh- 2016

प्रारूप - 6

छत्तीसगढ़ शासन अथवा उसके सार्वजनिक उपकरणों/अर्धशासकीय निकायों व छत्तीसगढ़ के स्थानीय शासनों के कार्मिकों संबंधी प्रमाण-पत्र
(नियम 2.6.2)

संदर्भ क्रमांक दिनांक.....
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी का नाम) जो बी.ई./बी.फार्म. द्वितीय वर्ष में प्रवेश का/की अभ्यर्थी है श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम)का की/संतान है,
क- जो छत्तीसगढ़ शासन केविभाग में.....पद पर.....तिथि से पदस्थ छत्तीसगढ़ शासन के कार्मिक हैं।

अथवा

ख- जो छत्तीसगढ़ शासन केविभाग मेंपद पर पदस्थ छत्तीसगढ़ शासन के कार्मिक थे ओर.....तिथि से इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए।
स्थान.....
दिनांक.....

कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष के
(नाम, हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

प्रारूप-7

भारत सरकार अथवा उसके सार्वजनिक उपकरणों / अर्धशासकीय निकायों के छत्तीसगढ़ में पदस्थ कार्मिकों के स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र
(नियम 2.6.2)

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी का नाम) जो द्वितीय वर्ष बी.ई./बी.फार्म. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी है, श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) का/ की/संतान है, जो.....तिथि से छत्तीसगढ़ में स्थित इस कार्यालय.....स्थान.....जिला.....में.....पद पर पदस्थ हैं जो

भारत सरकार के.....विभाग

अथवा

भारत सरकार केसार्वजनिक उपकरण

अथवा

भारत सरकार केअर्धशासकीय निकाय का / की कार्मिक है।
स्थान.....
दिनांक.....

कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष
के नाम, हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

C.G. Lateral Entry Rules for BE/BPh- 2016

प्रारूप-8

छत्तीसगढ़ में पुनर्वास स्थापन संबंधी प्रमाण पत्र

(नियम 2.6.2)

संदर्भ क्रमांक

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....जो
लेटरल एण्ट्री के तहत बी.ई./बी.फार्म. पाठ्यक्रम द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी है। श्री/सुश्री
का/की/संतान है, जो.....योजना के तहत छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित है। यह योजना भारत
शासन/छत्तीसगढ़ द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना है।

स्थान

दिनांक

.....

हस्ताक्षर

कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट
पदनाम एवं सील

प्रारूप-9

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित की संतान हेतु प्रमाण पत्र

(नियम 2.5.3)

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी का नाम) जो द्वितीय वर्ष
बी.ई./बी.फार्म. में प्रवेश के अभ्यर्थी है श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी के
पिता/माता का नाम) की संतान है जो जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापित हैं।

स्थान.....

.....

दिनांक.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

प्रारूप-10

छत्तीसगढ़ के कार्मिक जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य में की गई हो की संतान हेतु प्रमाण पत्र
(नियम 2.5.3)

संदर्भ क्रमोंक.....

दिनोंक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी का नाम) जो द्वितीय वर्ष बी.ई./बी.फार्मा. में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित अभ्यर्थियों की स्थानों के विरुद्ध प्रवेश का अभ्यर्थी है, के पिता/माता श्री/सुश्री.....छत्तीसगढ़ के कार्मिक हैं जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु पदस्थ हैं जिनकी पदस्थापना दिनोंक.....से दिनोंक..... तक(स्थान का नाम) जिला.....में रही है।
स्थान.....
दिनोंक.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

शासन में विभागाध्यक्ष
अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर, पद एवं
विभाग का नाम

C.G. Lateral Entry Rules for BE/BPh- 2016

Important Information of Engineering Colleges								
S. N.	College Name	Code	Estb.Yr	Phone No.	Fax	E-mail	Website	Contact No.
1	Ashoka Institute of Technology & Management, Gram - Torankatta, Post - Somni, Rajnandgaon,(AITM,RJN)	EN118	2008	07744326090	227231	aitm2007@rediffmail.com	www.aitmrjn.com	9827171505
2	Bharti College of Engineering & Technology,Pulgoan, Durg,(BCET,DURG)	EN120	2008	07882330230	2324124	bhartiyacollege@gmail.com	www.bhartiyacollege.com	9893883045
3	Bhilai Institute of Technology, Bhilai House, Durg , [BIT,DURG]	EN106	1986	07882323997	2210163	bit@bitdurg.org	www.bitdurg.org	9425555770
4	Bhilai Institute of Technology, Kendri, Distt. Raipur, (BIT, R)	EN139	2009	07712120232	2120231	bit.raipur@yahoo.com	www.bitraipur.com	9893313111
5	Bhilai School of Engineering, Vill+Post-Chandkhuri, Dist - Durg 491221, (BSE,DURG)	EN140	2009	07882625223	2625224	bse@bhilaicampus.org	www.bhilaicampus.org	9893079517
6	Central College of Engineering & Management, Kabir Nagar, Ring Road No. 2, Raipur, (CCEM,R)	EN121	2008	07712322404	2322403	ccemraipur@rediffmail.com	www.ccemraipur.co.in	9425208200
7	Central Institute of Technology, Bhelwadih, Th -Abhanpur, Distt - Raipur, (CIT,R)	EN141	2009	07714280738	2538434	citraipur@yahoo.com	www.citraipur.com	9826444494
8	Chhatrapati Shivaji Institute of Technology, Shivaji nagar Durg , [CSIT,DURG]	EN109	1999	07882320884	2334808	registrar@csitdurg.in	www.csitdurg.in	9826937473
9	Chhattisgarh Engineering College, Borsi-Dhanora Road, In front of St. Xaviour School, Dhanora, Distt - Durg, (CEC,DURG)	EN142	2009	07882344781	2344783	nalini2000@yahoo.com	www.cecdurg.com	9826126171
10	Chhattisgarh Institute of Management & Technology, Ganiyari, Bhilai,(CIMT,BHILAI)	EN122	2008	07883055300	3055303	cimt_bhilai@rediffmail.com	www.cimt.ac.in	9754412345
11	Chhattisgarh Institute of Technology, Near Parrinala, Rajnandgaon ,[CIT,RJN,]	EN113	2004	07744304100	304104	cit_rjn@rediffmail.com	www.citrjn.ac.in	9425514868

C.G. Lateral Entry Rules for BE/BPh- 2016

S. N.	College Name	Code	Estb.Yr	Phone No.	Fax	E-mail	Website	Contact No.
12	Chouksey Engineering College, Lal Khadan, Masturi Road, Bilaspur,(CHOUKSEY,BSP)	EN112	2001	07752302100	302101	info@cecbilaspur.ac.in	www.cecbilaspur.ac.in	9685045008
13	Christian College of Engineering & Technology, Kailash Nagar Bhilai, (MPC CET,BHILAI)	EN108	1998	07882286662	2285266	mpccet@mpccet.ac.in	www.mpccet.ac.in	9981991417
14	Columbia Institute of Engineering & Technology, Tekari ,Raipur, (CIET,R)	EN123	2008	07716461098	4004681	info@cietraipur.ac.in	www.cietraipur.ac.in	9302444444
15	Disha Institute of Management & Technology, Nardaha ,Raipur ,[DIMAT,R]	EN114	2005	0771423100	4200110	info@desindia.in	www.desindia.in	9755590000
16	Dr. C.V. Raman Institute of Science & Technology, Kota, Bilaspur, (C.V.Raman,BSP)	EN115	2007	07753253737	253728	cvruraipur@yahoo.co.in	www.cvrui.ac.in	9977961335
17	Engineering College, Sarguja University,Ambikapur	EN164	2010	07774261224	222791	registrarsua@yahoo.co.in	www. sua.nic.in	9009153794 9406037540
18	Garv Institute of Management & Technology, Purai , Durg, (GIMT,DURG)	EN124	2008	07882673970	2673880	garvinstitute@gmail.com	www.garvinstitute.org	9893435291
19	GD Rungta College of Engineering, kohka , Bhilai, (GDR CET,BHILAI)	EN125	2008	07886459564	2286481	info@rungtacolleges.com	www.rungtacolleges.com	9229155599
20	Govt. Engineering College, Koni, Bilaspur	EN101	1961	07752260339	260289	akshu_1967@yahoo.co.in	www.gecbasp.ac.in	9424152669
21	Govt. Engineering College,Dharampura, Jagdalpur	EN102	1983	07782229439	229401	principal@gecjdp.ac.in	www.gecjdp.ac.in	9425891723
22	Govt. Engineering College,Sej bahar Raipur	EN103	2006	07712103147	2103147	principal@gecraipur.ac.in	www.gecraipur.ac.in	9826184381
23	Institute of Technology, Rumgara Korba (IT,KRB)	EN105	2008	07759217435	228605	korbait@rediffmail.com	www.itkorba.com	9981443708
24	J.K. Institute of Engineering, Opp. B.J.P. Office, Karbala Road, Bilaspur, (J.K.I.E,BSP)	EN126	2008	07752327722	407159	jkie@rediffmail.com	www.jkedugroup.com	9827190018
25	Kirodimal Institute of Technology, Garh Umaria Raigarh (KIT,RIG)	EN104	2000	07762233562	233040	kit_raigarh@rediffmail.com	www.kitraigarh.in	9826118949
26	Kruti Institute of Technology & Engineering, Nardaha, Near Gyan Ganaga School, Raipur, (KITE,R)	EN127	2008	07712284647	2284627	secretary@sbasociety.com	www.kiteindia.in	9755549647

C.G. Lateral Entry Rules for BE/BPh- 2016

S. N.	College Name	Code	Estb.Yr	Phone No.	Fax	E-mail	Website	Contact No.
27	Lakhmi Chand Institute of Technology, Bodari, Bilaspur, (LCIT,BSP)	EN128	2008	07752217555	404523	lcit.bsp@gmail.com	www.lcitbilaspur.com	9179080042
28	MATS School of EngineeringAnd Technology,MATS University,Gullu,Aarang,Raipur, (MATS,R)	EN133	2008	07714078995	4078997	info@matsuniversity.ac.in	www.matsuniversity.ac.in	9589181972
29	MM College of Technology, Lakholi, Raipur,(MMCT,R)	EN116	2007	07714280072	4280071	info@mmctraipur.com	www.mmctraipur.com	9826709700
30	Parthivi College of Engineering & Management, Sirsakala, Bhilai, Distt - Durg, (PARTHIVI,BHILAI)	EN145	2009	07882280411	2280410	mail@parthivicollege.com	www.parthivicollege.com	9584216350
31	Pragati College of Engineering & Management, Sejbahar, Raipur, (PRAGATI,R)	EN152	2010	07712120700	4251235	info@pragatiengineering.in	www.pragatiengineering.in	9329120685
32	Professional Institute of EngineeringAnd Technology, Vill - Murra, Tah - Tilda, Distt - Raipur, (PIETECH,)	EN146	2009	07712420375	2420375	pietech.raipur@gmail.com	www.pietechraipur.org	9617900010
33	Raipur Institute of Technology, Chhatona Raipur , [RIT,R]	EN107	1995	07713208842	2537634	contactus@rit.edu.in	www.rit.edu.in	9329773012
34	Ravi Shankar Institute of Technology & Management, Near Radiant Public Scool, Champaran Road, New Raipur, (RITM,R)	EN147	2009	07712120236	4009302	info@sri.ac.in	www.sri.ac.in	9893051212
35	RSR, Rungta College of Engineering & Technology, Behind Nandan Van, Veer Savarkar Nagar, Ward No. - 1, Raipur, (RSRRCET,R)	EN148	2009	07716666666	2286480	rsrrcet@rungta.ac.in	www.rungta.ac.in	9826145333
36	RSR, Rungta College of Engineering & Technology, Kohka Kurud Road, Bhilai, (RSRRCET,BHILAI)	EN130	2008	07886459564	2286481	info@rungtacolleges.com	www.rungtacolleges.com	9229155599

C.G. Lateral Entry Rules for BE/BPh- 2016

S. N.	College Name	Code	Estb.Yr	Phone No.	Fax	E-mail	Website	Contact No.
37	Rungta College of Engineering & Technology, Kohaka ,Bhilai ,[RCET,BHILAI]	EN110	1999	07886666666	2286480	rcet@rungta.ac.in	www.rungta.ac.in	9229155550
38	Rungta College of Engineering & Technology, Behind Nandan Van, Veer Savarkar Nagar, Ward No.- 1, Raipur	EN149	2009	07716666666	2286480	rcetrpr@rungta.ac.in	www.rungta.ac.in	9826145333
39	Shri Rawatpura Sarkar Institute of Technology, Pacheda, Po - Kurru, ViaAbhanpur, Dist - Raipur, (SRITECH,R)	EN134	2008	07712120176	2120175	info@sri.ac.in	www.sri.ac.in	9424228240
40	Shri Sankaracharya Institute of Professional Management & Technology, Mujgahan, Raipur, (SSIPMT,R)	EN135	2008	07712120555	2120777	info@SSIPMT.com	wwwSSIPMT.com	9617080000
41	Shri Shankaracharya Engineering College, Junwani, Bhilai, (SSEC,BHILAI)	EN137	2008	07882291605	2291606	ssecbhilai@gmail.com	www.ssecb.ac.in	9755791797
42	Shri Shankaracharya Group of Institutions (Faculty of EngineeringAnd Technology), Junwani, Bhilai , [SSGI ,BHILAI,] (F.S)]	EN111	1999	07882291605	2291606	sscet@yahoo.co.in	www.sscet.ac.in	9826128489
43	Shri Shankaracharya Institute of Engineering & Technology, Vill - Khapri (Dhamdha Road) PO - Jewra Sirsa, Tah - Durg, (SIET,DURG)	EN143	2009	07882613211	2613212	dscet09@rediffmail.com	www.ssiet.co.in	9977247605
44	Shri Shankaracharya Institute of Technology & Management, Junwani, Bhilai, (SSITM,BHILAI)	EN136	2008	07882291622	2291606	contacts@ssitm.ac.in	www.ssitm.ac.in	9406349910
45	Yugantar Institute of Technology & Management, Thekawa, Rajnandgaon,(YITM,RJN)	EN117	2007	07744220781	220780	yitm1@yahoo.co.in	www.yitmindia.com	9406349906
46	Rungta engineering college, Bhilai	EN165	2014	07886666666		rec@rungta.ac.in	www.rungta.ac.in	9229155566

C.G. Lateral Entry Rules for BE/BPh- 2016

Important Informations of Colleges running B.Pharmacy course

S.n	Institute Name	Code	Stb.Yr	Phone no.	Fax	E-mail	Website	Contact no.
1	Apolo College of Pharmacy, Infront of Veteriary College,Anjora, Durg	PH109	2009	07882623444	2623444	info@apollocollegeofpharmacy.com	www.apollocollegeofpharmacy.com	9754000666
2	Columbia Institute of Pharmacy, Tekari, Raipur	PH104	2005	07716456853	266302	cipraipur@gmail.com	www.columbiaiop.ac.in	9424163848
3	Institute of Pharmacy, Pandit Ravishankar Shukla University, Raipur	PH101	2001	07712263773	2263773	shailendrasaraf@hotmail.com	www.prsu.ac.in	9300624812
4	J.K. College of Pharmacy, Karbala Road, Opp. B.J.P. Office, Bilaspur	PH110	2009	07752650927	407159	jkip_bilaspur@yahoo.co.in	www.jkedugroup.com	9827190018
5	Royal College of Pharmacy Science,Dumar Talab, Behind RSU , Raipur	PH107	2004	09302130492	4074002	rcp.rcps@gmail.com	www.royalpharmacy.org	9827153443
6	Rungta College of Pharmaceiutical Science & Reasearch, Kohaka Road Kurud , Bhilai	PH106	2006	07886666666	2286480	info@rungta.ac.in	www.rungta.ac.in	9229155550
7	School of Pharmacy, Chouksey Engineering College, Lal Khadan,Bilaspur	PH102	2004	07752302100	302101	info@cecbilaspur.ac.in	www.cecbilaspur.ac.in	9685045008
8	Shree Rawatpura Sarkar Institute of Pharmacy, Kumhari, Durg	PH103	2004	09203910085	247022	sripkumhari@gmail.com	www.sri.ac.in	9229157337
9	Shri Shankaracharya Group of Institutions, (faculty of pharmaceutical science), Nehru Nagar, Junwani, Bhilai	PH108	2007	07882291608	2291606	ssipsbhilai@gmail.com	www.ssips.ac.in	9039269923
10	Siddhi Vinayak Institute of Technology & Science, Near DindayalAwas Yojna, Uslapur, Bilaspur	PH111	2004	07752217578	222010	svits_bilaspur@yahoo.com	www.svits.edu.in	9827181552

C.G. Lateral Entry Rules for BE/BPh- 2016